

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र

केस न. ....

(कृपया निर्देश पीछे देखें)

(खाली छोड़ा जाए)

- 1- प्रार्थी का नाम (In Hindi).....(In English) .....  
पिता का नाम (In Hindi).....(In English) .....  
माता का नाम (In Hindi).....(In English) .....  
Enrolment No.....जन्म तिथि(अंको मे) .....  
अदा की गई राशि ..... बैंक ड्राफ्ट न0/बोर्ड रसीद संख्या .....दिनांक.....
2. प्रार्थी द्वारा अनुलिपि प्रमाण-पत्र की पहली/दूसरी/तीसरी प्रति लेने का उल्लेख किया जाये:.....
3. अनुलिपि प्रमाण-पत्र लेने का कारण:.....  
(अनुलिपि प्रमाण-पत्र मूल प्रमाण-पत्र के गुम हो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की अवस्था में ही जारी किया जाता है)
4. परीक्षा ..... अनुक्रमांक ..... वर्ष एवं महीना/सत्र .....  
परिणाम (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) ..... प्राप्त अंक .....  
विद्यालय व जिला का नाम जहां से परीक्षा उत्तीर्ण की .....  
विषय:- 1. .... 2. .... 3. ....  
4. .... 5. .... 6. .... 7. ....
5. कॉलम संख्या 04 में वर्णित परीक्षा से पूर्व दी गई इसी कक्षा की परीक्षा का विवरण जिसके अन्तर्गत आपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड परीक्षा दी एवं परिणाम अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमेंट रहा :  
अनुक्रमांक ..... वर्ष एवं महीना/सत्र..... परिणाम .....  
विद्यालय का नाम .....
6. पत्र व्यवहार का पता : .....  
..... दूरभाष न0.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर .....

(सत्यापन)

(सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
ने वर्ष एवं महीना/सत्र.....में अनुक्रमांक ..... के अन्तर्गत ..... परीक्षा  
उत्तीर्ण की है। प्रार्थी द्वारा फार्म में भरे गए उपरोक्त विवरण सही हैं और प्रार्थी ने मेरे समक्ष आवेदन-पत्र पर  
हस्ताक्षर किए हैं।

सत्यापन करने वाले  
अधिकारी का पूरा नाम व पद  
.....

प्रार्थी यहां अपनी  
पासपोर्ट साईज की  
फोटो चिपकाए व इस  
पर सत्यापन कर्ता के  
हस्ताक्षर व मोहर  
आवेदन-पत्र व  
फोटो दोनों को  
घूँते हुए हों।

सत्यापनकर्ता अधिकारी के  
हस्ताक्षर कार्यालय मोहर सहित

(सत्यापित फोटो)

नोट: यदि कोई प्रार्थी अपरिहार्य कार्यों से अनुलिपि प्रमाण-पत्र दस्ती (By Hand) प्राप्त करना चाहता है तो आवेदन-पत्र के साथ उसका प्रमाण/दस्तावेज संलग्न करते हुए निर्धारित शुल्क सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाए, उसके उपरान्त प्रार्थी को दस्ती प्रमाण-पत्र देने बारे विचार किया जायेगा।

आवेदन-पत्र की जांच कर ली गई है और ठीक पाया गया है। प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

सहायक/लिपिक

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता  
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता  
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

## (महत्वपूर्ण निर्देश)

1. सभी परीक्षाओं के विषयवार अंक-विवरण सहित Duplicate प्रमाण-पत्र अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के जारी किये जाते हैं। इससे पहले की परीक्षाओं के अनुलिपि प्रमाण-पत्र बिना विषयवार अंक विवरण के ही जारी किये जाते हैं।
2. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से न तो प्रार्थना-पत्र दे सकता है और न ही अन्य व्यक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है।
3. यदि आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से ठीक भरा हुआ है और विधिवत प्रमाणित है तो आवेदन-पत्र व शुल्क प्राप्ति की तिथि से सामान्यतः एक माह के अन्दर-अन्दर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।
4. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने के अतिरिक्त सलंगन प्रफोर्मा पर Undertaking भी देनी होगी, जिसमें उन सभी तथ्यों का हवाला देना होगा जिसके कारण उसे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति लेनी आवश्यक है। इसमें अनुलिपि प्रमाण-पत्र की पहली प्रति गुम होने/चोरी होने व नष्ट होने के कारण का उल्लेख करना होगा। प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति लेने के लिए 100/- रुपये अतिरिक्त शुल्क सहित कुल 500/- रुपये सामान्य शुल्क देना होगा।
5. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं दूसरी प्रति लेने के लिए आवश्यक हैं वे सभी पूर्ण करनी होंगी और इनके अतिरिक्त, यदि दूसरा अनुलिपि प्रमाण-पत्र चोरी हो गया है या गुम हो गया है तो उसके लिए एफ.आई.आर. भी दर्ज करवानी होगी जिसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन करनी होगी। अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति के लिए 200/- रुपये अतिरिक्त शुल्क सहित कुल 600/- रुपये सामान्य शुल्क देना होगा।
6. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति जारी करने के बाद अन्य अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष महोदय निर्णय करें कि केस वास्तविक और वाजिब है तो उस अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं आवश्यक हैं उन सभी को पूर्ण करना होगा और अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट आदेशों के बाद अनुलिपि प्रमाण-पत्र की चौथी प्रति जारी की जा सकेगी।
7. यदि कोई प्रार्थी अपने अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रति दस्ती लेना चाहता है तो उसे जिन कारणों से प्रमाण-पत्र की प्रति दस्ती लेना आवश्यक है तो सहायक सचिव/अधीक्षक (प्रमाण-पत्र) से अपने आवेदन-पत्र पर अनुमति करवानी होगी तथा प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने दो फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करने उपरांत दस्ती प्राप्त कर सकता है। उक्त अधिकारी द्वारा सिफारिश करते वक्त यह प्रमाणित करना होगा कि प्रार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र दस्ती लेने के लिए जो कारण दिए गए हैं वह वास्तविक हैं और वह उनसे संतुष्ट है। प्रमाण-पत्र दस्ती लेने के लिए 200/- रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दस्ती प्रमाण पत्र लेने के आवेदन पत्र दोपहर 1:00 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
8. एक मास के अन्दर प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में प्रार्थी द्वारा सहायक सचिव(प्रमाण-पत्र), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को लिखना चाहिए और अपने उक्त पत्र में अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का वर्ष एवं महीना, जिला और शुल्क की रसीद संख्या भी लिखनी चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
9. प्रार्थी को प्रमाण-पत्र में उसके विवरण परीक्षाफल घोष-पत्र में दिए गए विवरणों अनुसार ही जारी किये जायेंगे।
10. बोर्ड कार्यालय द्वारा सूचित त्रुटि/त्रुटियों का समाधान करवाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा। इस कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में बार-बार पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा छः माह के बाद प्रार्थी द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके बाद अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थी द्वारा नया आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।
11. प्रार्थी कॉलम संख्या 03 में अनुलिपि प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन का कारण अवश्य लिखें।
12. आवेदन पत्र पर प्रार्थी अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
13. प्रार्थी आवेदन पत्र पर पते के दोनों कॉलम में स्वयं अपने हाथ से पता लिखें।

**अनुलिपि प्रमाण-पत्र लेने हेतु निम्नलिखित नियमों अनुसार ही आवेदन-पत्र व फोटो सत्यापित कराये, अन्यथा आपका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।**

1. नियमित परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र एवं फोटो उसी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है जिसके माध्यम से उसने परीक्षा दी थी। यदि कोई विद्यालय किसी कारण से बन्द हो गया है तो उस अवस्था में प्रार्थी अपना आवेदन-पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करवाए।
2. जिस परीक्षार्थी ने स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की थी वह अपना आवेदन-पत्र शिक्षा ग्रहण किये गये अन्तिम उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया द्वारा सत्यापित करवा सकते हैं। उन्हें आवेदन-पत्र के कॉलम संख्या 5 में परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व इसी विद्यालय के माध्यम से इसी कक्षा की परीक्षा देने से संबंधित समस्त विवरण भरने होंगे। उसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं अपना आवेदन पत्र शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी/विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/बोर्ड के सदस्य/बोर्ड के 'क' श्रेणी के अधिकारी से भी सत्यापित करवा सकते हैं।
3. (क) ओपन स्कूल का अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक से आवेदन-पत्र व फोटो सत्यापित करवाना होगा।  
(ख) क्रेडिट पॉलिसी के अन्तर्गत परीक्षा पास करने वाले आवेदक को अपना आवेदन-पत्र व फोटो उस अंतिम विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक से सत्यापित करवाना होगा, जहां पर उसने अध्ययन किया था।
4. D.Ed/D.El.Ed. के परीक्षार्थी जो किसी सेवा में कार्यरत है उन द्वारा अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन पत्र व फोटो अपनी संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा तथा जो परीक्षार्थी किसी सेवा में नहीं है उन द्वारा अपना आवेदन-पत्र व फोटो उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा जहां से उसने D.Ed/D.El.Ed. परीक्षा उत्तीर्ण की है।
5. HTET के परीक्षार्थी अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र व फोटो सरकारी विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित करवाकर भेजें।
6. अनुलिपि प्रमाण-पत्र के लिए तुरन्त कार्रवाई हेतु आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति सलग्न करनी चाहिए।

**विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित सामान्य शुल्क**

अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड के लिए शुल्क निम्न प्रकार से है :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड की प्रथम प्रति के लिए                                       | 400/- रूपये |
| 2. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए                                       | 500/- रूपये |
| 3. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड की तीसरी प्रति के लिए                                       | 600/- रूपये |
| 4. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड दस्ती प्राप्त करने व दो दिन में भेजने के लिए अतिरिक्त शुल्क | 200/- रूपये |

**टिप्पणी :** जिन परीक्षाओं की परिणाम शीट्स नष्ट कर दी गई हैं /किन्हीं कारणों से खराब/नष्ट हो गई हैं या उपलब्ध नहीं हैं, उनसे संबंधित प्रमाण-पत्र में आवेदक को विषयवार अंक विवरण नहीं दिये जायेंगे। उन्हें केवल बिना विषयवार अंक विवरण के अनुलिपि प्रमाण-पत्र ही जारी किये जाएंगे।

**Declaration/Undertaking**

I \_\_\_\_\_ S/D/O  
Sh \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_

do hereby solemnly declare as under:-

- 1- That I appeared in Middle/Secondary/Sr. Secondary (Academic/Vocational/Open)/  
D.Ed./D.El.Ed./HTET Examination March/Sept./ \_\_\_\_\_ under  
Roll. No. \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ (School Name)  
Distt. \_\_\_\_\_
- 2- That my First/Second Copy of Duplicate Certificate has lost or  
misplaced/ \_\_\_\_\_. Now I require Second/Third Copy of Duplicate Certificate.
- 3- That I unable to locate my 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> Copy of Duplicate Certificate. If my 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> Copy of  
Duplicate Certificate is traced out in future, the same would be submitted to the  
Education Board, Bhiwani & not misused.

It is also certified that the above information is true to the best of my knowledge and  
nothing has been concealed therein.

Dated:- \_\_\_\_\_

Signature of Candidate \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Mobile No: \_\_\_\_\_

**Declaration /Undertaking**

मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....निवासी.

.....जिला.....निम्न अनुसार Undertaking  
देता/देती हूँ :-

1. यह कि मैंने अनुक्रमांक .....के अन्तर्गत मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/व्यवसायिक/ओपन), डी0एड0/डी0एल0एड0/एचटेट परीक्षा वर्ष..... सत्र/मास.....में..... (स्कूल का नाम)/जिला.....से दी है ।
2. यह कि मेरे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति गुम/नष्ट हो गई है और अब मुझे इसकी दूसरी/तीसरी प्रति की नितान्त आवश्यकता है ।
3. यह कि मुझे जारी अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति गुम होने के बाद मुझे नहीं मिली है। यदि भविष्य में मुझे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति कहीं मिलती है तो मैं उसे बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दूंगा/दूंगी और उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सत्य है और मेरे द्वारा इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है ।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर.....

दिनांक:.....

पता.....

मोबाईल नं0.....